



न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / 2014 निगरानी.

III

क्रमांक 10/2014

13/3/14

13/3/14

13/3/14

1. सोनेराम आदिवासी पुत्र मंजू आदिवासी
2. सुनीता पत्नी सोनेराम आदिवासी
निवासीगण ग्राम विलूखो तह. व जिला शिवपुरी
म.प्र. --- आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन

--- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व विभाग
विद्वान आयुक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1655/तीन/2014

जिला शिवपुरी

न. तथ्य
क्रमांक

कार्यवाही तथा आदेश

संयोजक एवं
अभिभाषक
हरनाथ

26.6.14


यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 241/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.1.14 के विरुद्ध ग0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 241/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.1.14 के अवलोकन पर पाया गया कि विचाराधीन निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को अर्थात् आदेश पारित होने के 123 दिन बाद प्रस्तुत की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 10.4.14 एक दिवस का समय लगा है 123-01=122 दिवस का विलम्ब है, जबकि संहिता में किये गये संशोधन क्रमांक 42 सन् 2011 ग0प्र0राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित अनुसार इस हेतु केवल 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है। इस प्रकार निगरानी लगभग 62 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत है। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के तथ्यों के पुष्टि में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.14 की जानकारी रीडर ने 10.4.14 को दी, जबकि आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 27.1.14 के अनुसार अपीलार्थी (आवेदक) के अभिभाषक ने इसी दिन उपस्थित रहकर तर्क प्रस्तुत किये हैं।

और इसी दिन आदेश पारित हुआ है।

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 - विलंब माफी हेतु आवेदन आदेश की जानकारी का श्रोत राही नहीं दर्शाया गया प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं - विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
 2. ग0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 47 अनुचित विलम्ब को क्षमा करने एक पक्षकार को लागू देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
 3. ग0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 - धारा 47 अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है- आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया- आदेश का सूचना होना जाना मानी जावेगी।
 4. ग0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 47 आदेश की जानकारी का दिनांक एवं उसका श्रोत साबित नहीं किया गया - विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है।
- 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अवधि-वाह्य पये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।



(अशोक शिवहरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर